A Ttn. Shri Ravi Thakur

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

(17)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 1987—चैत्र 25, शके 1909

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 1987

क्र. 5998-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15 अप्रैल, 1987 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वि. वा. उमरेकर, उपसचिव.

(18)

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं.

अध्याय ४—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.

२५. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे:—

(एक) बोर्ड ;

(दो) विद्या परिषद् ;

(तीन) संकाय ;

(चार) वित्त समिति ; और

(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं.

बोर्ड का गठन.

२६. (१) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की स्थापना होने के दो मास के भीतर बोर्ड का गठन करेगा.

(२) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

पदेन सदस्य.

(एक) कुलपति—अध्यक्ष.

(दो) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, —

(क) कृषि विभाग;

(ख) वित्त विभाग;

(ग) पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभाग;

(घ) डेयरी विकास विभाग;

(ङ) मछली पालन विभाग.

कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य.

(तीन)—

(एक) कृषि;

(दो) पशु चिकित्सा, मछली पालन तथा डयरी;

(तीन) कृषि अभियांत्रिकी

में अनुसंधान या शिक्षा का पूर्वानुभव रखने वाले तीन विख्यात वैज्ञानिक.

राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य.

(चार) कृषि विकास के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला एक प्रख्यात उद्योगपति या विनिर्माता;

(पांच) ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्री;

(छह) एक प्रगतिशील कृषक, अधिमान्यतः जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो.

अन्य सदस्य.

(सात) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि जो उस परिषद् के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(घ) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं.

संकायाध्यक्ष और निदेशक.

२०. (१) अनुसंधान सेवाओं के संकायाध्यक्ष और निदेशक तथा विस्तार सेवाओं के निदेशक होंगे जो विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उन परिनियमों के अनुसार की जाएगी जो इस निमित्त बनाए गए हों

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(३) संकायाध्यक्ष और निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा उनको प्रदत्त की जाएं या उन पर अधिरोपित किए जाएं.

अन्य अधिकारी.

२१. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की, जो धारा ११ में निर्दिष्ट है, नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी और उनकी सेवा की शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

समन्वय परिषद्.

२२. राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए एक परिषद् होगी, परिषद् का गठन राज्य सरकार के आदेश द्वारा किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित होंगे :—

(१)	कृषि मंत्री	..	अध्यक्ष
(२)	राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति	..	सदस्य
(३)	संबंधित विश्वविद्यालयों के कुल सचिव	..	सदस्य
(४)	संबंधित विश्वविद्यालयों के निदेशक	..	सदस्य
(५)	संबंधित विश्वविद्यालयों के लेखा नियंत्रक	..	सदस्य
(६)	मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित विभागों के सचिव—		

(एक) कृषि विभाग,
(दो) पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभाग,
(तीन) मछली पालन विभाग,
(चार) सहकारिता विभाग,
(पांच) वित्त विभाग,
(छह) वन विभाग,
(सात) आदिम जाति कल्याण विभाग,
(आठ) सिंचाई विभाग,
(नौ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि जो महानिदेशक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा.

परिषद् का सम्मिलन और उसमें गणपूर्ति.

२३. (१) परिषद् एक कलेण्डर वर्ष में दो बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, सम्मिलन करेगी.

(२) परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(३) परिषद् के सदस्य ऐसा यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(४) शासन सचिव, कृषि विभाग संयोजक होगा.

परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

२४. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी :—

(एक) कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(दो) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थूल नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के उन्नयन और विकास के लिए उपाय सुझाना ;

(तीन) राज्य में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों के बीच समन्वयकारी निकाय के रूप में कार्य करना;